पत्रांक :74 / 2011
दिनांक :27.08.2011

सेवा में,
ekuuh; eq[; ea=h
झारखंड, राँची।

विषय : ykSg v;Ld [kuu iV~Vk ,oa iwoZs{k.k vuqKfIr gsrq iwoZ eq[;ea=h Jh e/kq dksM+k ds dk;Zdky esa dh xbZ vuq'kalkvksa dh xgu leh{kk djus rFkk lkj.Mk ou izeaMy {ks= ds dfri; Hkkx dks v{kq..k (Inviolate) ?kksf"kr djus ds lac/k esaA

प्रसंग : ekuuh; iz/kku ea=h dks izsf"kr esjk i= la[;k&37@11] fnukad 10-04-2011 ,oa Hkkonh; dks izsf"kr esjk i= la[;k&15@2011] fnukad 10-02-2011

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कृपया पूर्व में प्रेषित मेरे प्रसंगाधीन पत्रों की संलग्न छाया प्रति का अवलोकन करने की कृपा करेंगे। इन पत्रों के माध्यम से मैंने पूर्व मुख्यमंत्री एवं खान मंत्री श्री मधु कोड़ा के कार्यकाल में लौह अयस्क के खनन पट्टा तथा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों के लिए भारत सरकार को भेजे गए प्रस्तावों की समीक्षा करने एवं इस पर पुनर्विचार करने हेतु अनुरोध किया था, जिसकी प्रति भारत सरकार के खान मंत्री को भी दिया था। परंतु अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ज्ञातव्य है कि झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के निर्देश पर आयकर अन्वेषण निदेशालय, प्रवर्तन निदेशालय तथा सी.बी.आई. ने श्री मधु कोड़ा के मुख्य मंत्री काल में हुई अनियमितताओं की जांच किया है। इस संदर्भ में आयकर विभाग द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में लौह अयस्क खनन पट्टों एवं पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों के लिए राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को भेजी गई अनुशंसाओं में बरती गई अनियमितताओं के मद्देनजर इनकी गहन समीक्षा करने का सुझाव दिया गया है। इस बारे में राज्य सरकार के खनन एवं भूतत्व विभाग के कतिपय अधिकारियों की मिलीभगत का उल्लेख भी आयकर अन्वेषण निदेशालय ने उनके नाम सहित किया है। इस संदर्भ में वस्तु स्थिति का उल्लेख मैंने विस्तार से अपने प्रसंगाधीन पत्रों में किया है।

भ्रष्टाचार के अलावा इस विषय का एक अन्य कोण प्राकृतिक संपदा एवं वन्य जीवों के संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण का भी है। आपको मालूम है कि झारखंड राज्य में लौह अयस्क का भंडार मुख्यतः सारंडा वन क्षेत्र में है। सारंडा वन क्षेत्र अपने साल वृक्षों, जिन्हें ग्रीन स्टील कहा जाता है, के लिये और अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिये दुनिया भर में मशहूर है। इस क्षेत्र के चिन्हित क्षेत्रों में में दुर्लभ वन्य प्राणियों का वास स्थल भी है। भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने अर्द्धसरकारी पत्र संख्या–11–28/ 2002–एफ.सी., दिनांक 16.06.2003 द्वारा इस क्षेत्र में वाणिज्यिक गतिविधियों को क्रमशः समाप्त करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। तदुपरांत झारखंड के प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने पत्रांक–642, दिनांक 14.02.2006 द्वारा सारंडा, कोल्हान एवं पोड़ाहाट वन प्रमंडलों के चिन्हित भू–भागों को (Inviolate) घोषित करने का प्रस्ताव सचिव, वन एवं

पर्यावरण विभाग को दिया है। सारंडा वन क्षेत्र में अक्षुण्ण घोषित किया जाने वाले क्षेत्रफल 63,199. 89 हेयेक्टर है।उक्त प्रस्ताव पर दिनांक 25.04.2006 को तत्कालीन वन एवं पर्यावरण मंत्री, झारखंड सरकार का अनुमोदन भी प्राप्त हो गया है। तत्कालीन सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग की दिनांक 11.12.2007 की एक टिप्पणी की छायाप्रति संलग्न है, जो स्वतः स्पष्ट है।

बिडम्बना है कि अभी तक उक्त क्षेत्रों को अक्षुण्ण घोषित नहीं होने देने में राज्य सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के कतिपय अधिकारियों की भूमिका संदेहास्पद रही है। इनके द्वारा सरकार को भ्रामक जानकारियां दी जाती रही है ताकि मामले को लटकाये रखा जाये। इस संबंध में प. सिंहभूम के जिला खनन पदाधिकारी का एक पत्र संलग्न है। एक बार तो संचिका के पथभ्रष्ट हो जाने और 9 महीना तक गुम रहने का उल्लेख भी है। (संचिका का संबंधित पृष्ठ की छाया प्रति संलग्न है)। अभी तक राज्य सरकार के खान विभाग ने कई बार मांगे जाने के बावजूद इस बारे में अपना स्पष्ट मंतव्य नहीं भेजा है। फिलहाल सारंडा वन प्रमंडल के आरक्षित वन क्षेत्र में कुल 28 खनन पट्टा स्वीकृत है, जिसका कुल रकबा 9,351.07 हे. है। इसके अतिरिक्त पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के कार्यकाल में कुल जितना क्षेत्र में खनन पट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति हेतु भारत सरकार को अनुशंसायें भेजी गई हैं, उनमें से करीब 5600 हे. क्षेत्र में आवेदनों पर भारत सरकार पूर्वानुमोदन प्राप्त हो गया है। इसके अतिरिक्त सारंडा के करीब 44880 हे. क्षेत्र पर अनुशंसा की प्रतीक्षा में आवेदन राज्य सरकार के पास लम्बित हैं जिनमें से कई आवेदन अनुशंसित होकर भारत सरकार के पास पड़े हैं।

सारंडा वन का क्षेत्रफल करीब 81900 हे. है। इस में से 63199 हे. क्षेत्र को अभग्न घोषित करने का प्रस्ताव है। जबकि 9351 हे. पर श्री मधु कोड़ा के मुख्य मंत्री बनने से पहले से खनन पटटा प्राप्त है और खनन के प्रक्रिया जारी है। श्री कोड़ा के कार्यकाल में स्वीकृत 5600 हे. के पटटा क्षेत्र को जोडकर कुल 14951 हे. पर खनन पटटा स्वीकृत है। यानि सारंडा के कुल 81901 हे. क्षेत्रफल में से कुल 59830 हे. खनन के चपेट में है। इसमें उस क्षेत्र का बड़ा भूभाग भी शामिल है जिसे अभग्न रखने को प्रस्ताव है। स्पष्ट है कि इस बारे में गहन समीक्षा नहीं की गई तो सम्पूर्ण सारंडा वन क्षेत्र बर्बाद हो जायेगा। इसके साथ ही इस क्षेत्र का ग्रीन स्टील कहा जाने वाला ''साल वन'', अकूत जैव विविधता सम्पदा तथा दुर्लभ वन्य प्राणियों का वास स्थल भी नष्ट हो जायेगा।

अतः अनुरोध है कि आयकर अन्वेषण निदेशालय की अनुशंसा तथा सारंडा साल वन के संरक्षण के लिए लौह अयस्क खनन/पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के अनुशंसित आवेदनों की गहन समीक्षा की जाये और दोषी अधिकारियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाये। यह जितना आवश्यक भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करने के संदर्भ में आवश्यक है, उतना ही सारंडा साल वन के संरक्षण के लिए भी आवश्यक है।

सधन्यवाद,

भवदीय

¼l j ;k jk;½